संख्या-40/2024/1788/78-1-2024-142/2024

प्रेषक

अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा मेंए

प्रबन्ध निदेशक
यूपीएलसी लखनऊ

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 07 नवम्बर 2024

विषयः उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अन्तर्गत M/S TARQ SEMICONDUCTORS PRIVATE LIMITED को वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः.142/78- 1-2024-14/2024 दिनॉक 19 जनवरी 2024 द्वारा उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति.2024 अधिसूचित की गई है। यह नीति अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

2- M/S TARQ SEMICONDUCTORS PRIVATE LIMITED द्वारा Sector 28, Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) Region, Gautam Buddha Nagar में सिलिकॉन फोटोनिक्स डिवाइस/इण्टीग्रेटेड सर्किट/ऑप्टोइलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स के निर्माण के लिए इकाई की स्थापना हेतु लगभग रु 28,440 करोड़ का निवेश प्रस्तावित करते हुए उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अन्तर्गत वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की मांग की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा M/S TARQ SEMICONDUCTORS PRIVATE LIMITED को Sector 28, Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) Region, Gautam Buddha Nagar में कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स जैसे GaN, SiC, GaAs आदि और सिलिकॉन फोटोनिक्स डिवाइस/इण्टीग्रेटेड सर्किट, ऑप्टोइलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स के निर्माण के लिए इकाई की स्थापना हेतु उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के अनुसार आवेदनकर्ता कम्पनी को निम्नलिखित प्रोत्साहनों को प्रदान करने हेतु एल0ओ0सी0 (लेटर आफ कम्फर्ट), जिसके अन्तर्गत देय प्रोत्साहन परियोजना के भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही अनुमन्य होंगे, को निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वित्तीय प्रोत्साहन

क्र0 सँ0	उपादान	प्रोत्साहन का विवरण	नीति के अन्तर्गत अनुमन्यता
1	पूंजीगत उपादान	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजीगत उपादान का 50 प्रतिशत।	रू 7037.50 करोड़
2	भूमि की दर में छूट	राज्य अभिकरणों से भूमि क्रय करने पर प्रथम 200 एकड़ भूमि हेतु प्रचलित सेक्टर दरों पर 75 प्रतिशत उपादान। Land area – 125 Acres Approx	वास्तविक आधार पर (अनुमानित रू0 320.97 करोड़)
3	स्टाम्प शुल्क और निबन्धन शुल्क	भूमि की खरीद/पट्टे पर 100 प्रतिशत छूट Estimated stamp Duty as per policy- INR 29,95,78,874	वास्तविक आधार पर (अनुमानित रू0 29.95 करोड़)
4	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी	10 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट	वास्तविक आधार पर
5	दोहरा पॉवर ग्रिड नेटवर्क	राज्य में स्थापित फैब इकाइयों को दोहरा पॉवर ग्रिड नेटवर्क प्रदान किया जाएगा। एक ग्रिड (दोनों में से कम) की लागत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, जबकि दूसरे ग्रिड की लागत निवेशक द्वारा वहन की जायेगी।	वास्तविक आधार पर
6	कौशल और प्रशिक्षण के लिए सहायता	बी.टेक और एम.टेक स्नातकों के लिए मुख्यमंत्री इन्टर्नशिप योजना के अन्तर्गत 5 वर्षो तक प्रति वर्ष 500 छात्रों तक प्रति छात्र रु 20,000 की इन्टर्नशिप सहायता। सेमीकण्डक्टर उद्योग की स्थापना में अंतर को पाटने और विश्वस्तरीय प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए 'एक बार की सहायता' के रूप में 12 माह तक की अवधि में अधिकतम रु 01 करोड़ प्रति इकाई की धनराशि	वास्तविक आधार पर
7	पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति	पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये शुल्क-व्यय के 75 प्रतिशत की दर से (एकमुश्त) प्रतिपूर्ति, घरेलू पेटेण्ट के लिये अधिकतम रू 10 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेण्ट प्राप्त के लिये अधिकतम रू 20 लाख	वास्तविक आधार पर
8	औद्योगिक आवास	इकाई के परिसर के 10 किमी के दायरे में श्रमिकों के आवास/ छात्रावास और सम्बन्धित सामूहिक सुविधा के विकास की लागत का 10 प्रतिशत अथवा रु 10 करोड़, जो भी कम हो, 7 समान वार्षिक किश्तों में	वास्तविक आधार पर
			7037.50 + वास्तविक आधार पर

गैर-वित्तीय प्रोत्साहन

क्र0 सँ0	प्रोत्साहन	विवरण	नीति के अन्तर्गत अनुमन्यता
1	मिशन क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर	इकाई को आवश्यक सेवा और रख-रखाव अधिनियम (ई.एस.एम.ए.) के तहत एक आवश्यक सेवा प्रदाता के रूप में वर्गीकृत किया	हाँ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		जायेगा।	
2	जलापूर्ति	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) पर्याप्त पानी उपलब्ध करायेंगे तथा एस.टी.पी. निस्तारण की सुविधा प्रदान करेंगे।	हाँ
3	विद्युत आपूर्ति	इकाई को 'ओपन एक्सेस' के माध्यम से विद्युत प्राप्त करने की अनुमति विद्युत नियामक आयोग (ERC) के मानकों के अनुसार प्रदान की जायेगी।	हाँ
4	पॉवर बैंकिंग	इकाई को नवीकरणीय/हरित ऊर्जा के लिए पॉवर बैंकिंग प्रदान की जायेगी, यह राज्य के विद्युत नियामक आयोग (ई.आर.सी.) दिशा-निर्देशों के अनुसार शासित होगा।	हाँ
5	नॉन-डिस्टर्बेन्स प्राविधान	सुनिश्चित व्यापार निरन्तरता प्रदान करने के लिए, जब एक बार इकाई ने निवेश पूर्ण कर लिया और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) से पूर्णता प्राप्त कर लिया और पूरा लीज रेन्ट भुगतान कर दिया है तो इकाई द्वारा किसी भी मानदण्ड/उपनियम के उल्लंघन के मामले में पट्टा विलेख निरस्त करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के निदेशक मण्डल की स्वीकृति आवश्यक होगी।	हाँ
6	तीन पालियों में परिचालन	सेमीकण्डक्टर इकाइयों को 24×7 परिचालन और तीन पालियों में महिलाओं के रोजगार की इस प्रतिबन्ध सहित अनुमति होगी कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक सावधानी सुरक्षित की जाये।	हाँ
7	स्व-प्रमाणन	इकाई को निर्धारित प्रारूपों में स्व-प्रमाणन प्रमाण-पत्र दाखिल करने की अनुमति नियमानुसार प्रदान की जायेगी:- • फैक्ट्री अधिनियम • मातृत्व लाभ अधिनियम • दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम • अनुबन्ध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम • वेतन भुगतान अधिनियम • न्यूनतम वेतन अधिनियम • रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम	हाँ

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- निवेशक को स्वीकृत प्रोत्साहन इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन द्वारा अनुमोदित कुल पात्र परियोजना लागत के 100प्रतिशत (उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के प्रस्तर-6 के अनुसार) से अधिक नहीं होगा और निर्गत किया गया लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रस्तावित परियोजना पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ही प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्रोत्साहन, जो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन के अतिरिक्त है, केवल उसी स्थिति में संवितरित किया जायेगा, जब भारत सरकार द्वारा अपना अंश निर्गत कर दिया जाये। पूंजीगत उपादान का वितरण राज्य सरकार द्वारा Pari passu मोड में किया जाएगा।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निवेशक को अपनी इकाई की स्थापना के लिए मांगे गये उपरोक्त प्रोत्साहन की अनुमन्यता हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा:-

(i) उक्त प्रोत्साहनों/छूट की प्राप्ति के लिए उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 की अन्य सभी शर्तें/प्राविधान भी प्रभावी होंगे तथा प्रोत्साहनों की प्राप्ति के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-11/2024/254/78-1-2024-14/2024 दिनांक 28 फरवरी 2024 में विहित प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश में निहित सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तें लागू होंगी। प्रस्तावित वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन, उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 तथा संगत अधिनियम/नियम/विनियम अदि प्राविधानों के अन्तर्गत ही अनुमन्य होंगे।

(ii) निवेशक द्वारा अपनी परियोजना की स्थापना के क्रम में समस्त प्रभावी स्थानीय कानूनों, अधिनियमों, सरकारी विनियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(iii) निवेशक द्वारा सम्बन्धित विभाग/संस्था/प्राधिकरण से प्रभावी कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार लागू सभी आवश्यक अनुमति/स्वीकृति/अनापत्ति प्राप्त की जायेंगी।

(iv) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्गत नियमों/शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि श्रम अधिनियमों एवं नियमावलियों के प्राविधान का उल्लघंन न हो।

(vi) निवेशक द्वारा समय-समय पर अथवा जब भी शासन/नोडल एजेन्सी द्वारा आवश्यक हो, परियोजना की अद्यतन स्थिति प्रदान की जायेगी। शासन/नोडल एजेन्सी द्वारा परियोजना से सम्बन्धित कोई और जानकारी मांगी जा सकती है और जब भी आवश्यकता होगी, निवेशक द्वारा उसे प्रस्तुत किया जायेगा।

(vii) निवेशक इकाई को 'उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024' के प्राविधानों के अन्तर्गत मिलने वाली वित्तीय रियायतें उसके द्वारा किये गये स्थिर निवेश (fixed capital investment) के 100 प्रतिशत (उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के प्रस्तर-6 के अनुसार) की अधिकतम सीमा तक ही अनुमन्य होंगे।

(viii) इकाई द्वारा किये गये वास्तविक निवेश के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये गये मूल्यॉकन रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक देय प्रोत्साहन/छूट अथवा उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित आगणन में से जो भी निम्नतर हो, अनुमन्य होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ix) इस नीति को राज्य में किसी अन्य नीति/योजना के साथ Dovetail नही किया जा सकता है। यद्यपि, भारत सरकार की योजनाओं/नीतियों के साथ Dovetailing की अनुमति है।

(x) इकाई के स्थिर निवेश का आकलन एवँ इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/परियोजना मूल्यॉकन रिपोर्ट, इकाई द्वारा नोडल एजेन्सी के समक्ष प्रोत्साहन संवितरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय वाह्य संस्था से अनिवार्य रूप से तैयार कराई जायेगी।

(xi) वास्तविक पूंजी निवेश के आकलन हेतु वित्तीय लेखों (financial statements) के अतिरिक्त शासन द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए मूल्यॉकन एवं भौतिक सत्यापन भी कराया जा सकता है।

(xii) निवेशक के निवेश प्रस्ताव, परियोजना लागत, वित्तपोषण के माध्यम, टाइमलाइन्स इत्यादि में किसी परिवर्तन की दशा में, निवेशक द्वारा नोडल एजेन्सी को पूर्व सूचित किया जायेगा तथा निवेशक के अनुरोध पर नोडल एजेन्सी (आवश्यकता होने पर वाह्य संस्था) द्वारा परीक्षण किया जायेगा और विचारार्थ मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(xiii) इस नीति के तहत किसी भी शब्द अथवा प्राविधान की व्याख्या से सम्बन्धित किसी संशय के स्पष्टीकरण/समाधान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश को सन्दर्भित किया जायेगा तथा शासन का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

6- कृपया उक्त के क्रम में प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

संख्या- 40/2024/1788/78-1-2024तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

12- मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यमुना एक्सप्रेसवे,औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतम बुद्धनगर।

13- अपर निदेशक/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्ध नगर।

14- गृह गोपन अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।

15- गार्डफाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।